संख्या:20/2017/1755/12-2-2017-8/2017

प्रेषक,

पवन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 29 मई, 2017

विषय: प्रमाणित बीजों के वितरण पर अनुदान (राज्य सेक्टर) के मानक मद-27-सब्सिडी की योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम पांच माहों की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 16/2017/1589/12-2-2017-8/2017 दिनांक 18 मई, 2017 तथा आपके पत्र संख्या: एस0एफ0/78 जी/लेखा-2/बीज अनु0/2017-18 दिनांक 15 अप्रैल, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-103-बीज-04-प्रमाणित बीजों के वितरण पर अनुदान (राज्य सेक्टर) के मानक मद-27-सब्सिडी के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रूपये 6500.00 लाख के सापेक्ष प्रथम पांच माहों (अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017 तक) हेतु रूपये 2708.33 लाख (रूपये सत्ताइस करोड आठ लाख तैंतीस हजार मात्र) नियमानुसार व्यय हेतु (संलग्न विवरण के अनुसार) आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. धनराशियों का निस्तारण जहॉ आवश्यक हो, क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्रीय अधिकारियों की मांग के अनुसार उन्हे अपेक्षित धनराशि आपके स्तर से नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी। इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवयकता होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा है। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाईनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6. व्यय से संबंधित समस्त विवरण विभागीय वेबसाइट पर डाली जायेगी।

7. तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-103-बीज-04-प्रमाणित बीजों के वितरण पर अनुदान (राज्य सेक्टर) के मानक मद-27-सब्सिडी के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

8. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या: 3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017 दिनांक 20 मार्च, 2017 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किए जा रहे हैं। इसकी प्रति विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित है। अत: इसमें निहित निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(पवन कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या:20/2017/1755(1)/12-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
5. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, फैजाबाद रोड, महानगर, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अपर कृषि निदेशक, (बीज एवं प्रक्षेत्र), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या:20/2017/1755/12-2-2017-8/2017 दिनांक 29 मई, 2017 का संलग्नक

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0सं0	विषय	विवरण
1	योजना का नाम	प्रमाणित बीजों पर अनुदान
2	वित्त पोषण	राज्य सेक्टर
3	योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो का विवरण संक्षेप में	धान, गेहूँ, जौ एवं तिल के बीजों के वितरण पर अनुदान
4	नियोजन विभाग/व्यय वित्त समिति/ भारत सरकार/आर0 के0वी0वाई में एस0 एल0एस0सी0/मा0 मंत्रि परिषद द्वारा अनुमोदित कार्य योजना, परियोजना अवधि, लागत तथा बैठक एवं पत्र जिसके द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।	शासनादेश संख्या: 16/2017/1589/12-2-2017-8/2017 दिनांक 18 मई, 2017 द्वारा वर्ष 2017-18 हेतु
5	परिव्यय	6500.00 लाख
6	केन्द्र पोषित योजना की स्थिति में भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष हेतु पुर्नवैद्य/ अवमुक्त केन्द्रांश भारत सरकार के पत्र की प्रति सहित।	-
7	केन्द्रांश के सापेक्ष जारी की जा सकने योग्य धनराशि	-
8	योजना में वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजट प्राविधान	4601.30 लाख
9	पूर्व में जारी वित्तीय स्वीकृतियॉ तथा व्यय की धनराशि	27-सब्सिडी आवंटन: 0 लाख व्यय: 0 लाख
10	चालू योजना की स्थिति में गत वर्ष जारी धनराशि तथा व्यय का विवरण	अवमुक्त धनराशि: 3250.00 लाख व्यय की व्यय: 1386.26 लाख
11	प्रस्तावित अतिरिक्त वित्तीय स्वीकृति का मदवार विवरण	27-सब्सिडी: 2708.330 लाख
	मानक मद	मांगी जा रही वांछित धनराशि लाख रूपये में
	27-सब्सिडी	2708.33
	योग:	2708.33

(रूपये सत्ताइस करोड आठ लाख तैंतीस हजार मात्र)

(पवन कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।